पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

CIN:- U40101UR2004SGC028675

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002

E-mail:- hr@ptcul.org

दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 वैबसाइट www.ptcul.org

PTCUL

पत्रांकः 79 /मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/ दिनांकः 17.01.2025

कार्यालय ज्ञाप

भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 28/03/2024–P&PW(B)Gratuity/9559 दिनांक 30 मई, 2024 के द्वारा सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में दिनांक 01 जनवरी, 2024 को मंहगाई भत्ते की दर 50 प्रतिशत किये जाने के आधार पर केन्द्रीय नागरिक सेवा (पेंशन) नियम, 2021 या केन्द्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के तहत दिनांक 01 जनवरी, 2024 से सेवानिवृत्तिक ग्रेच्युटी और मृत ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में 25 प्रतिशत की बढोत्तरी करते हुये रू0 20,000,00.00 (रू0 बीस लाख मात्र) से बढाकर रूपये 25,00,000.00 (रू0 पच्चीस लाख मात्र) की गयी है, जिसके क्रम में उत्तराखण्ड शासन द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 228640/xxvii(10)/2024-E–73849/2024 दिनांक 30.07.2024 के द्वारा 01 जनवरी, 2024 से सेवानिवृत्तिक ग्रेच्युटी और मृत ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा रू0 20,000,00.00 (रू0 बीस लाख मात्र) से बढाकर रूपये 25,00,000.00 (रू0 पच्चीस लाख मात्र) किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं।

इस सम्बन्ध में दिनांक 23.12.2024 को पिटकुल के निदेशक मण्डल की 97वीं बैठक में प्रस्तुत एजेन्डा संख्या 97.08 में दिनांक 01 जनवरी, 2024 से सेवानिवृत्त/दिवंगत कार्मिकों हेतु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में 25 प्रतिशत की बढोत्तरी करते हुये रू0 20,00,000.00 (रू0 बीस लाख मात्र) से बढाकर रूपये 25,00,000.00 (रू0 पच्चीस लाख मात्र) किये जाने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 228640/xxvii(10)/2024-E–73849/2024 दिनांक 30.07.2024 को पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 में अंगीकार किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर निदेशक मण्डल द्वारा निम्नवत् अनुमोदन प्रदान किया गया हैः–

RESOLVED THAT consent of the board be and is hereby accorded to adopt the order of Government of Uttarakhand vide memorandum no. 228640/xxvii(10)/2024-E–73849/2024 dated 30.07.2024 for increasing the maximum amount of gratuity for Rs. 20,00,000/- (Rs. Twenty Lakhs) to Rs. 25,00,000/- (Twenty Five Lakhs).

अतः निदेशक मण्डल द्वारा दिये गये अनुमोदन के अनुपालन में उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 228640/xxvii(10)/2024-E–73849/2024 दिनांक 30.07.2024 को पॉवर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 में अंगीकार किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्रांकः 79 /मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/ ईडब्लू–4 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव–प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक, महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर–निदेशक (मा0सं0)/(परिचालन)/ (वित्त)/(परियोजना), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक, पिटकुल,............................ ।
4. कम्पनी सचिव, पिटकुल, देहरादून।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल,.................... ।
6. समस्त आहरण–वितरण अधिकारी, पिटकुल।
7. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल देहरादून को इस आशय के साथ कि उक्त पत्र को पिटकुल की वैबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल.................... ।

(अशोक कुमार जुयाल)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)